अनुवाद

"कृपया पत्राचार विशेषकर ई-मेल हिंदी में करने को प्रोत्साहन दें"

दूरभाष Phone : 23234092
फैक्स Fax : 23234537
टॉल फ्री : 1800-11-2526

मुख्यालय,कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Headquarters, Employees' State Insurance Corporation
पंचदीप भवन, सी.आई.जी.मार्ग,नई दिल्ली 110002
Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002

www.esic.nic.in

संख्या : ए-27/17/छठा/1/2008-स्था.3

दिनांक : 16.08.2010

ज्ञापन

विषय : 01.01.2006 को या इसके बाद सीधी भर्ती से नियुक्त किए गए बीमा निरीक्षकों के संबंध में वेतन निर्धारण ।

क्षेत्रों से बड़ी संख्या में 01.01.2006 को या इसके बाद सीधी भर्ती से नियुक्त किए गए बीमा निरीक्षकों के संबंध में वेतन निर्धारण संबंधी पत्र प्राप्त हो रहे हैं । इस मामले की केन्द्रीय सिविल सेवा (परिशोधित वेतन) नियम, 2008 के अनुसार जाँच की गई और 01.01.2006 को या इसके बाद नियुक्त हुए सीधी भर्ती वाले बीमा निरीक्षकों के संबंध में वेतन निर्धारण निम्नलिखित तरीके से किया जाए :-

1. चूँकि क.रा.बी. निगम में बीमा निरीक्षकों को 01.01.2010 से कल्पित 4,600/- रुपये का ग्रेड वेतन दिया गया है और 01.10.2007 से मौद्रिक लाभ दिया गया है । अतः 01.01.2006 को या उसके बाद नियुक्त हुए सीधी भर्ती वाले बीमा निरीक्षकों के मामले में उनका वेतन 4,600/- रुपये के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड में 12,540 का कल्पित वेतन निर्धारित किया जाए ।
2. इसके साथ उनका वास्तविक वेतन 4,200/- रुपये के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड में 9,300/- रुपये वेतन निर्धारित किया जाए ।
3. 01.10.2007 को उनका कल्पित वेतन उनका वास्तविक वेतन बन जाएगा और 01.10.2007 से सभी उद्देश्यों के लिए उनका यह वेतन माना जाएगा ।
4. 01.10.2007 को या उसके बाद सीधी भर्ती से नियुक्त हुए बीमा निरीक्षक के मामले में उनका वेतन 4,600/- रुपये के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड में सीधे 12,540 निर्धारित किया जाना चाहिए ।
5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त क्र.सं. 1 से 3 तक में दिए गए अनुसार वेतन निर्धारण केवल 01.01.2006 को या इसके बाद और 01.10.2007 से पूर्व नियुक्त हुए बीमा निरीक्षकों के मामले में ही किया जाएगा ।

इसे वित्त एवं लेखा की सहमति से जारी किया जाता है ।

सहायक निदेशक

सेवा में,

निदेशक(चिकि.) दिल्ली/चिकित्सा आयुक्त, क.रा.बी. अस्पताल, बसईदारापुर/झिलमिल/ओखला, नई दिल्ली/नोएडा/के.के. नगर, चैन्नै/जोका (कोलकाता), सभी क.रा.बी. आदर्श अस्पताल/संयुक्त निदेशक, स्था.5(मुख्यालय)/वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त/राज्य चिकित्सा आयुक्त ।

प्रतिलिपि अग्रेषित :

1. सभी संयुक्त निदेशक(वित्त)/उप निदेशक(वित्त), क.रा.बी. अस्पताल/आदर्श अस्पताल ।
2. महासचिव, अखिल भारतीय क.रा.बी. निगम फेडरेशन को सूचनार्थ ।
3. निदेशक(वित्त), मुख्यालय ।
4. निदेशक(प्रणाली) को इस निवेदन के साथ कि इसे क.रा.बी. निगम की वेबसाइट में अपलोड करें ।
5. राजभाषा शाखा ।
6. गार्ड फाइल/अतिरिक्त प्रतियाँ ।

सहायक निदेशक

E:\Amrit\Admn\E 3\Pay Fixation of II.doc